CONFIDENTIAL
Not for publication

Con. No. 46
Vol. XLXII

PROCEEDINGS OF THE SEVENTY-FIFTH CONFERENCE OF PRESIDING OFFICERS OF LEGISLATIVE BODIES IN INDIA

HELD AT SRINAGAR

ON

20TH & 21ST JUNE, 2010

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

AUGUST, 2010

उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा: परम आदरणीय लोक सभा की अध्यक्षा जी, जम्मू कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा, माननीय पीठासीन पदाधिकारीगण, लोक सभा, राज्य सभा के महासचिव, सम्मेलन में उपस्थित सचिवगण एवं मीडिया के भाईयो।

संसदीय लोकतंत्र में प्रश्नकाल का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। संसद एवं विधान मंडलों में माननीय जनप्रतिनिधि जन-आकांक्षाओं व समस्याओं को सदन में उपस्थित करते हैं और कार्यपालिका से उत्तर की अपेक्षा करते हैं। प्रश्न विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण का महत्वपूर्ण माध्यम है। जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के संबंध में सरकार से जानकारी प्राप्त करते हैं और कार्यपालिका के द्वारा की गई अनियमितताओं एवं चूक की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रश्न के माध्यम से कार्यपालिका को उसकी जवाबदेही का बोध कराया जाता है जिससे कार्यपालिका का तंत्र अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों से विमुख न हो सके। लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रश्न प्रभावी भूमिका निभाता है। संसद एवं विधान सभाओं की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है और संसद एवं विधान सभाओं में पहला एक घंटा प्रश्न के लिए रहता है। यह पहला घंटा इसलिए रहता है कि रात के बाद सुबह फ्रैश माईंड से माननीय सदस्य, मंत्रीगण एवं पदाधिकारी हाउस में आते हैं और उसका फायदा शांति के वातावरण में सोचने का और फिर हाउस में जवाब देने का। यह परम्परा आज से नहीं चल रही है। यह परम्परा ब्रिटिश शासन काल में वर्ष 1731 से शुरू हुई और भारत में 1892 में प्रश्न पूछने का उपबंध शुरू हुआ। सरकार को घेरने का एक ही उपाय माननीय सदस्यों के पास होता है कि जो सीधे लिंक रहता है आम जनता और उसके सवालों से, लेकिन कभी-कभी सरकार की तरफ से सही उत्तर प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो माननीय सदस्य या उनकी पार्टी के लोग डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। मेरा जहां तक अनुभव है कि विधान सभा में तीन प्रमुख कारण हैं, बाधा डालने के। पहला, राजनैतिक पार्टियों को दायित्व बोध का न होना। राजनैतिक पार्टियां सही मायने में समझें कि हमें क्या कदम उठाने हैं तो किसी भी हालत में ऐसे कदम नहीं लेंगी जिससे प्रश्नकाल बाधित हो जाए। दूसरा, मीडिया के लोग ऐसी सोच बनाए हुए हैं कि हमें किसे प्रमुखता से छापना है। जो हंगामा करते हैं उन्हें ही प्रमुखता से छापते हैं, उससे भी मैसेज जाता है, उन्हें लगता है कि जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक हमारा छपेगा नहीं। तीसरा, हमारे सभी पीठासीन अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से भी कहीं न कहीं गलती होती रहती है जिसके चलते सदस्यों को यह अनुभव होता है कि बिना सरकार की तरफ से सिर हिलाए ये पीठासीन पदाधिकारी कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इससे भी हंगामे का कारण होता है। इसे कैसे रोका जाए, इस पर मेरा ख्याल है कि इसके लिए हरेक विधान सभा में प्रबोधन का कार्यक्रम चलाया जाए। लोक सभा या विधान सभा में एक-तिहाई व्यक्ति प्रत्येक चुनाव के बाद नये आते हैं और जब वे लोक सभा या विधान सभा में आते हैं तो उन्हें यह अनुभव नहीं होता है कि हम प्रश्न कैसे करें और जवाब कैसे प्राप्त करें, वे इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हैं। बिहार में आपने प्रयोग किया है कि पार्लियामेंट की तरफ से और विधान सभा अध्यक्ष की तरफ से एक प्रबोधन का कार्यक्रम चला और जिन सदस्यों को जानकारी नहीं थी, उन्हें काफी फायदा हुआ और प्रश्नकाल को बाधित करने की जो बात बराबर बनी रहती थी, उसमें काफी कमी आई है। सदस्यों को जब ज्ञान हो जाएगा तो वे प्रश्न काल को बाधित करने में भूमिका नहीं निभाएंगे। पिछले लोक सभा का जो इतिहास बना है वह दुर्भाग्यपूर्ण रहा। गलत मैसेज जनता को गया। लोक सभा में यह बात आई कि प्रश्न के लिए पैसे लिये जाते हैं, वह विधान सभा में नहीं आया। लोक सभा में यह मामला आया कि पैसे प्रश्न के नाम पर लिये जाते हैं और सदस्य उन्हें बचाने के लिए भी आउट हो जाते हैं। अच्छी बात है कि आपने बहुत सख्त कार्रवाई की।

लेकिन इससे आम जनता में एक बड़ा गलत मैसेज गया। सौ करोड़ जनता के दिमाग में यह बात गई कि क्या वास्तव में प्रश्न पूछने के लिए पैसे भी लिये जाते हैं। पूरे देश को लोक सभा ने ही यह गलत मैसेज दिया है।

दूसरा गलत मैसेज फिर लोक सभा ने ही दिया कि जहां लोक सभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना हाउस की टेबल पर करोड़ों रुपये पार्टी के द्वारा प्रदर्शित किये गये। इस बात ने पूरे देश की जनता के सामने सिर झुका दिया कि इस तरह से वोट खरीदने के लिए सदस्यों की खरीद-करोख्त की जाती है। जिस पार्टी ने भी यह किया, बहुत शर्मनाक किया और जबकि इस पर लोक सभा अध्यक्ष की परमीशन भी नहीं ली गई थी, वैसी हालत में इतनी बड़ी रकम का प्रदर्शन करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और अभी तक वैसा प्रदर्शन करने वालों पर लोक सभा के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई न होना यह भी बहुत विषम स्थिति है। हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी पार्टी को बैन करना चाहिए, जिसने लोक सभा में करोड़ों रुपये दिखाने का इतना गलत निर्णय लिया। यह बहुत शर्मनाक है।

मैं तीसरी बात की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बात को सारी आम जनता और माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रश्न काल एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। लेकिन इसका निराकरण करने के लिए हम क्या उपाय करें। हमारा उपाय एक ही हो सकता है कि सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और सारी विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को माननीय अध्यक्ष महोदया आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाकर एक सही लैसन दें, जिससे विधान सभा और लोक सभा सही ढंग से चल सकें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। मैं समझता हूं कि जब लोक सभा की कार्रवाई को हम लोग देखते हैं तो इसी का असर विधान सभाओं में जाता है। विधान सभा का कोई माननीय सदस्य इतनी हिम्मत नहीं कर पाता है कि किसी अध्यक्ष के सामने वह अपने प्रश्न के माध्यम से डिस्टर्बेंस पैदा कर दे और हाउस एडजर्न करा दे। ऐसी हिम्मत कोई सदस्य नहीं कर पाता है और खासकर मैं देखता हूं कि बिहार की विधान सभा में यह हिम्मत किसी इनडिविजुअल में नहीं होती है। ये सारा दोष पार्टी के नेता का होता है। पार्टी के नेता का डायरेक्शन क्या है, प्रथम यही काउंट करता है और दूसरा कार्य स्थगन प्रस्ताव फर्स्ट हाफ यानी 12 बजे के पहले देने का आपने जो प्रावधान किया हुआ है, उसे भी चेंज करना चाहिए, उसे हमेशा प्रश्न काल के बाद रखना चाहिए। लेकिन आप जब उसे पहले ले लेते हैं तो वह हाउस, अपोजीशन और किसी भी पार्टी के लिए एक मसाला है और उसी के कारण पूरा हंगामा खड़ा होता है और प्रश्न काल मिस हो जाता है। इसलिए कार्य स्थगन प्रस्ताव को पहले न लिया जाए, बल्कि कार्य स्थगन प्रस्ताव को सैकिंड हाफ में लिया जाए तो हमें लगता है कि बहुत सुधार हो जायेगा। इसी कामना के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदया और जम्मू-कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छे विषय पर इस सम्मेलन में डिबेट कराई। धन्यवाद।